न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

क.सं.	निगरानी संख्या	प्रार्थीगण	बनाम्	अप्रार्थीगण
1.	13/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.वसन्ध पुत्र हसन जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
2.	15/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.जमाल पुत्र हसण जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
3.	16/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.ईस्माईल पुत्र अली जाति मुसलमान निवासी सड़िया तहसील व जिला जैसलमेर
4.	17/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.हसन पुत्र मारू जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
5.	18/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये ग्राम सरपंच पंचायत शिव 2.गफूर पुत्र हसण जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
6.	21/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.हुसैन पुत्र मारू जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
7.	24/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2. अचार पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 15,14,38,30,36,39,एंव 13 दिनांक 06.06.2011 जो सरपंच ग्राम पंचायत,शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1.श्री छैलसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2.श्री सुनील के मेराजा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या सं.02 वसन्ध, जमाल, ईस्माइल,हुसैन एंव अचार की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत एंव अप्रार्थी सं. 02गफूर एक तरफा।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 28.02.2018

1. इन सभी निगरानीयों में एक समान तथ्य एंव एक ही विवाद बिन्दु होने से इनका निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
2. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी आवासीय भूखण्ड का पट्टा 5,14,38,30,36,39,एंव 13 दिनांक 06.06.2011 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
3. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत शिव के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत शिव की आबादी भूमि में भूमि का विक्रय विलेख प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये भूमि का विक्रय विलेख–पट्टा जारी किया जाए। इस पर ग्राम पंचायत,शिव ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा होना बताते हुए नियम 157(ख) के तहत भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया । प्रार्थी का यह कथन है कि पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जॉच एंव निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाकर अपने रिश्तेदारों को एक से अधिक पट्टे जारी किये है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टे खारिज किये जाए।
4. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत शिव से जारी पट्टों से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थी संख्या 02 वसन्ध, जमाल,ईस्माइल,हसन,हुसैन एंव अचार की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील के मेराजा उपस्थित हुए जिन्हें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।
5. अप्रार्थी गफूर पुत्र हसण बावजूद नोटिस तामिल हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता की बहस सुनी। अप्रार्थी संख्या 02 जमाल पुत्र हसण और हसण पुत्र मारू की ओर लिखित बहस भी पेश की गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी जोरानाडा तहसील शिव का मूल निवासी एंव ग्राम पंचायत बलाई का रहवासी है। प्रार्थी के पास अपने परिवार के रहवास हेतु कोई पट्टा सदा परिसर नहीं होने के कारण प्रार्थी ने वर्तमान ग्राम पंचायत बलाई के समक्ष जोरानाडा में उपलब्ध भूमि में से पट्टा जारी करने का निवेदन किया तब प्रार्थी को अप्रार्थी एंव उसके परिवार के सदस्यो के नाम से पूर्व में ही नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने की जानकारी हुई है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 को बिना किसी कब्जे के अवैध व अनुचित तरीके से दिनांक 06.06. 2011 को पट्टे दिये गये है, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का कोई कब्जा या रहवास नहीं है। ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी पट्टो की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय एंव ग्राम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिस व्यक्ति का मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा हो उसको नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया जाता है, जबकि वादगस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का कोई कब्जा, मकान आदि बने हुए नहीं है और मौके पर जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 25/–जमा नहीं करवाये है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में भूमि का विवरण अंकित नहीं किया। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मौका गठन नहीं किया है जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी है वह निर्धारित प्रपत्र. में नहीं है। रिपोर्ट में निर्मित मकान का उल्लेख नहीं है। आपतियां आमंत्रित करने हेतु ग्राम पंचायत ने जो नोटिस जारी किया है,उस नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है यह स्पष्ट नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ने पुराना कब्जा मानते हुए अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी किया है जबकि नियम 157(ख) के तहत 50 वर्षो से अधिक पूर्व निर्मित मकानो के पट्टे जारी किये जा सकते है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत शिव ने एक परिवार को एक से अधिक पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत शिव ने नियम 145 से 157 की पालना नही कर निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना दिनांक 06.06.2011 को पटटे जारी किये है,जो नियम विरूद्ध एंव गलत होने से खारिज किये जाए।

7. अप्राथी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि यह निगरानी प्रार्थी ने ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी पट्टो को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई, जिन्हें यह निगरानी प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार नहीं है इससे यह निगरानी प्रथम दृष्टतया निररत योग्य है। प्रार्थी ने यह निगरानी छः वर्ष बाद पेश की है। मियाद को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। इसलिये निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज की जाए। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने पुराने कब्जे की भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत शिव के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पत्रावली कायम कर मौका निरीक्षण करने का आदेश पारित किया। आपतियां पेश करने के एक माह बाद नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण सभी भूखण्डों पर नियमानुसार शुल्क लेकर नियम 157(ख)के तहत पट्टे जारी किये गये है जो सही है। अप्रार्थी का इन भूखण्डो के अलावा कहीं पर भी भूखण्ड नहीं है। अप्रार्थी अपने बने हुए मकानो पर परिवार सहित रहवास कर रहे है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध दुर्भावना से ग्रसित होकर रिविजने पेश की हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा समस्त विधिक प्रकिया का पालना करते हुए नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अप्रार्थी जमाल खा पुत्र हसन खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 का दिनांक 25.04.2011 को एंव हसन पुत्र मारू को जारी पट्टा संख्या 30 का दिनांक 01.07.2011को उप पंजीयक कार्यालय शिव में पंजीबद्ध करवा दिया है। पंजीबद्ध विलेखों को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय में निहित होने से खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर होने, मियाद का प्रार्थना पत्र नहीं होने,बिना अधिकार के प्रार्थी को निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं होने निगरानी मय भारी हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

8. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। निगरानी पत्रावली, ग्राम पंचायत शिव से प्राप्त रेकार्ड एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी के हक मे जारी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने नियमो में निर्धारित प्रकिया को नहीं अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत शिव की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत शिव के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। जिस पर पत्रावली कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 05.02.2009 को निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी किया गयाा हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। नियम 157 के अनुसार पुराने गृहो का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। नियम 157(ख)के अनुसार इन नियमो के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है। नियम 157(ख) के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी का मकान बना होने से पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का कभी आधिपत्य एंव कब्जा नहीं रहा है और आज भी मौके पर किसी का कोई मकान आदि बने हुए नहीं है। जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि मौके पर मकान बने हुए है और अप्रार्थी अपने बने हुए मकानो में रहवास कर रहे है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से मौके की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 वसन्ध पुत्र

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हसन,जमाल पुत्र हसण,ईस्माईल पुत्र अली,हसन पुत्र मारू,गफूर पुत्र हसण,हुसैन पुत्र मारू एंव अचार पुत्र हुसैन के मौके पर मकान निर्मित होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि नियम 157(ख) पुराने गृहो के नियमितिकरण के तहत पट्टे जारी किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 जमाल पुत्र हसन के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 का दिनांक 25.04.2011 को एंव हसन पुत्र मारू के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 का दिनांक 01.07.2011 को विकय पत्र का निष्पादन कर उपपंजीयक कार्यालय शिव में पंजीयन करवा दिया गया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 02 का इस पट्टा की भूमि पर पूर्ण स्वामित्व हासिल हो चुका है। ऐसी स्थिति में इन पट्टो को खारिज करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड एंव मौका रिपोर्ट से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत शिव ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के हक में नियम 157(ख) के तहत 5,14,38,30,36,39,एंव 13 दिनांक 06.06.2011 जारी किये है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर